


उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1
संख्या- 36/IX-1-2011-4(18)/2009
देहरादून : दिनांक 03 मार्च, 2011



विज्ञापित
पदोन्नति

भारतीय वन सेवा उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक वेतनमान ₹ 67000-79000 (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

| क्रमांक | अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष |
|---------|------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | श्री सुरेश चन्द्र पन्त -1982 |
| 2 | श्रीमती रेखा पै -1983 |
| 3 | श्री जयराज -1983 |
| 4 | श्री अमूल्यरत्न सिन्हा -1983 |
| 5 | श्री एस0टी0एस0लेप्चा -1983 |
| 6 | श्री अशोक -1983 |

2. शासनादेश संख्या-155/X-1-2011-4(18)/2009, दिनांक 18.1.2011 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम-4(2) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत अपर प्रमुख वन संरक्षक के 04 पदों का 01 वर्ष की अवधि हेतु सृजन किया गया है। अतः उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से श्री जयराज, श्री अमूल्यरत्न सिन्हा, श्री एस0टी0एस0 लेप्चा एवं श्री अशोक की पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगी कि यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त 04 अस्थायी पदों की निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

4 MAR 2011

(एम0एच0खान)
सचिव

पृष्ठांकन 36/IX-1-2011-4(18)/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
5. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।


(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव